

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज्ञ अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

मैजुन सिट्टर को नाम कैली रावत को

केस मुकदमा नं. 17 सन 2024

इजाजत - 20/11

दिनांक	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
--------	-------------------------------------	---

10-24	<p>वादा प्रार्थनापत्र बाद जांच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीय को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पनावली दिनांक 15/10/24 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, करेड़ा</p> <p>राजवली पेश हुई अज्ञ अदालत द्वारा आदेशित कार्य समाप्त अधिकार रक्षक को पत्रावली 26/11/24 पेश</p> <p>उपखण्ड अधिकारी पद सहायक कलक्टर करेड़ा</p> <p>जब यह उम्भित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 26/11/24 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी करेड़ा</p>	
21/11/25	<p>जब यह उम्भित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 21/11/25 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी करेड़ा</p>	
26/11/25	<p>जब यह उम्भित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 26/11/25 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी करेड़ा</p>	

पत्रावली पेश हुई। पकील सिटीवा उपखण्ड प्रकरण में पकील सिटीवा ने प्रकरण के लक्षितता करेण को इजाजत की पालना से जोर देकर कहा कि इजाजत प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से कार्यवाही हमी तब या समाप्त सिने जाने का सिनेन दिनांक प्रकरण के पक्षिस सिटीवा के इतर प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाले। इजाजत की कार्यवाही हमी तब या समाप्त की जाती है। फायदा के सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी पद सहायक कलक्टर करेड़ा